मान्यता हेतु आवेदन प्रारूप

क. विद्यालय का विवरण		
1	**विद्यालय का नाम**	
2	**शैक्षिक सत्र**	
3.	**जिला**	
4.	**डाक का पता**	
5.	**ग्राम/नगर**	
6.	**तहसील का नाम**	
7.	**पिन कोड**	
8.	**फोन नं0 एस0टी0डी0 कोड सहित**	
9.	**फैक्स नं0/मोबाइल नं0**	
10.	**ई–मेल पता, यदि कोई हो**	
11.	**निकटतम पुलिस थाना**	

ख. साधारण सूचना		
1	स्थापना का वर्ष	
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तारीख	
3.	न्यास/सोसाइटी/प्रबन्ध समिति का नाम	
4.	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकृत है।	
5.	वह अवधि, जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है	
6.	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के गैर–स्वामित्व प्रकृति का कोई सबूत है, जो शपथ–पत्र पर सदस्यों के पतो सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो	
7.	विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	

	फोन / मो0नं0	(कार्यालय) ..... (निवास) ..... मोबाइल नं0–.....

8.	पिछले तीन वर्षो के दौरान कुल आय और व्यय आधिक्य / कमी			
	वर्ष	आय	व्यय	आधिक्य / कमी

ग. विद्यालय का स्वरूप एवं क्षेत्र		
1	शिक्षा का माध्यम	
2	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षायें विनिष्ठ करें)	
3.	यदि सहायता प्राप्त है तो अभिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत	
4.	यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त है	
5.	यदि हाँ तो किस प्राधिकारी द्वारा मान्यता संख्याक	
6.	क्या विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या किराये के भवन में कार्यरत कर रहा है।	
7.	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं का क्रीडा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।	
8.	विद्यालय का कुक्ष क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ, नामांकन प्रास्थिति			
	कक्षा	**सेक्सनों की संख्या**	**विद्यार्थियों की संख्या**
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	1 से 5		
3.	6 से 8		
	उपलब्ध शिक्षण कक्षों की संख्या भीतरी माप **कम से कम 180 वर्गफीट के अनिवार्य है।** (लम्बाई×चौड़ाई वर्गफीट में) (केवल लिन्टर्ड 1–शिक्षण कक्ष–		
	2–प्रधानाध्यापक कक्ष		
	3–कार्यालय कक्ष		

	4–स्टाफ कक्ष		
	5–अन्य कक्ष		
ड. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं			
1	कक्षा	संख्या	औसत आकार
1.	कक्षा		
2.	कार्यालय कक्ष सह भंडार कक्ष–सह–प्रधानध्यापक कक्ष		
3.	रसोई सह भंडार		
4	विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल ल0×चौ0 फीट में।		
5	कुल निर्मित क्षेत्रफल ल0×चौ0 फीट में।		

च. अन्य प्रसुविधाए		
1.	क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधारहित पहुँच प्राप्त है।	
2	अध्यापन पठन सामग्री **(सूची संलग्न करे)**	
3.	खेलकूद और क्रीडा उपस्कर **(सूची संलग्न करे)**	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा पुस्तके (पुस्तकों की संख्या) पत्रिकाएं/सामाचार पत्र	
5.	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या क्या जीवाणु रहित पानी पीने की व्यवस्था है अथवा नहीं	
6.	स्वच्छता संबंधी दशाए	
	(i) डब्ल्यू0 सी0 और मूत्रालयों की किस्म	
	(ii) बालकों के लिए पृथक मूत्रालयों/शौच गृहो की संख्या (iii) बालिकाओं के लिए पृथक मूत्रालयों/शौच गृहो की संख्या (iv) विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।	

छः अध्यापन कर्मचारियों की विशिष्टियां

1

	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृतिक अर्हरता (5)	अध्यापक सम्बन्धी अनुभव (6)

	सौपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2. प्राथमिक और माध्यमिक दोनो में अध्यापन, (प्रत्येक अध्यापक के ब्यौरे पृथक रूप से)			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृतिक अर्हता (5)	अध्यापन सम्बन्धी अनुभव (6)
	सौपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3. प्रधानाध्यापक			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृतिक अर्हरता (5)	अध्यापन सम्बन्धी अनुभव (6)
	सौपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम			
1.	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के ब्यौरे (कक्षा 8 तक)		
2.	विद्यार्थियों के निर्धारण की पद्वति		
3.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?		
झ.	**शुल्क**	**अंग्रेजी माध्यम**	
1.	1 प्री–प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर 2. प्राइमरी स्तर	(क) **रू0 2000/–** का बैंक ड्राफ्ट जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से निर्गत हो। उक्त बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक के लेखा शीर्षक''0202–शिक्षा खेल कूद कला तथा संस्कृत–01 सामान्य शिक्षा–101 प्रारम्भिक शिक्षा–09 प्रकीर्ण में जमा कर चालान की एक प्रति मान्यता पत्रावली में संलग्न करना अनिवार्य है।	

		(ख) विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में **रू0 10000/–** की एन0एस0सी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
2.	3. प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर तक	(क) **रू0 3000/–** का बैंक ड्राफ्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से निर्गत हो। उक्त बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक के लेखा शीर्षक''0202–शिक्षा खेल कूद कला तथा संस्कृत–01 सामान्य शिक्षा–101 प्रारम्भिक शिक्षा–09 प्रकीर्ण में जमा कर चालान की एक प्रति मान्यता पत्रावली में संलग्न करना अनिवार्य है।	
		(ख) **रू0 20000.00/–** विद्यालय के संदान (प्राभूत कोष) जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
		(ग) विद्यालय द्वारा **रू0 5000/–** की धनराशि का एक स्थायी कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
		(घ) विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में **रू0 10000/–** की एन0एस0सी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
शुल्क		**(हिन्दी माध्यम)**	
1.	1 प्री–प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर 2. प्राइमरी स्तर	(क) **रू0 2000/–**का बैंक ड्राफ्ट जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से निर्गत हो। उक्त बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक के लेखा शीर्षक''0202–शिक्षा खेल कूद कला तथा संस्कृत–01 सामान्य शिक्षा–101 प्रारम्भिक शिक्षा–09 प्रकीर्ण में जमा कर चालान की एक प्रति मान्यता पत्रावली में संलग्न करना अनिवार्य है।	
		(ख) विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में **रू0 5000/–**की एन0एस0सी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	

2.	3. जू0हा0स्कूल (कक्षा–6 से 8) स्तर तक	(क) **रू0 3000/–** का बैंक ड्राफ्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से निर्गत हो। उक्त बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक के लेखा शीर्षक''0202–शिक्षा खेल कूद कला तथा संस्कृत–01 सामान्य शिक्षा–101 प्रारम्भिक शिक्षा–09 प्रकीर्ण में जमा कर चालान की एक प्रति मान्यता पत्रावली में संलग्न करना अनिवार्य है।	
		(ख) **रू0 20000.00/–**विद्यालय के संदान (प्राभूत कोष) जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
		(ग) विद्यालय द्वारा **रू0 5000/–** की धनराशि का एक स्थायी कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
		(घ) विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में **रू0 5000/–**की एन0एस0सी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पद नाम से प्लेज्ड होगी।	
अनिवार्य प्रमाण–पत्र			
1.	भवन नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुसार भवन सुरक्षा मानको के अनुरूप होने का प्रमाण–पत्र लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर0ई0एस0 के अभियन्ता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे। **(प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)**	प्राईमरी/जू0हा0स्कूल स्तर के विद्यालय जो ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित है **(अवर अभियन्ता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होंगे)** तथा एक से अधिक मंजिल के विद्यालय का प्रमाण–पत्र **(सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होंगे)** ***नोट– प्रमाण–पत्र पर निर्गतकर्ता अधिकारी का स्पष्ट नाम, हस्ताक्षर, पदनाम व विभाग अंकित होना अनिवार्य है।***	
2.	विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र स्थापित होने तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाति प्रशिक्षित होने का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो **(संलग्न किया जाय)**	स्थापित अग्निशमन यंत्र का प्रकार– कुल अग्निशमन यंत्रो की संख्या– प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या–	
3.	भवन की स्थिति (किसी एक स्तर पर (**✓**) सही का निशान लगाये)	1- विद्यालय का निजी भवन 2- सोसाइटी/ट्रस्ट का भवन 3- कम से कम 10 वर्ष का पंजीकृत किरायानामा/लीज का भवन	

4.	साज–सज्जा एवं उपकरण– (विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की **कुर्सी, स्टूल, बेंच और मेज** तथा अध्यापकों के लिए **कुर्सी, मेज** उपलब्ध होनी चाहिए)	<u>काष्ठोकपकरण छात्रों हेतु</u> <u>अध्यापको हेतु</u> 1- कुर्सी= 2- मेज= 3- स्टूल= 4- बेंच (टू,थ्री,फोर सीटेड)= 5- डेस्क (टू,थ्री,फोर सीटेड)= अन्य यदि कोई हो–	
5.	विद्यालय कर्मचारियों हेतु सेवा नियमावलीः–	विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली तैयार की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थायीकरण, दण्ड, अवकाश, पेन्शन, ग्रेच्युटी,बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों के मध्य विधिक सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। नियमावली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होंगे।	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा कैपचर प्रारूप में भी सूचना प्रस्तुत की है।

(ञ) प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबद्ध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थित, संसद/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

अध्यक्ष/प्रबन्धक

दिनांकः

प्रबन्ध समिति

स्थान :

.....विद्यालय

परिशिष्ट
प्रारूप–1

(नियम–11 का उपनियम (1) देखें)

विद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन सहित स्वघोषणा
उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

महोदय,

मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडो और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक स्वघोषणा करता हूँ और **(विद्यालय का नाम और पता)**.....
.....हेतु शैक्षिक सत्र 2018–19 के प्रारम्भ से मान्यता की स्वीकृति के लिए विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक:

स्थानः

दिनांकः

भवदीय

प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक